

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 04-07-2025

विषय सूची

- » WHO की "3 बाय 35" पहल
- » IOC द्वारा भारत से संरचनात्मक चिंताओं को दूर करने का आग्रह
- » रासायनिक उद्योग: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना: रिपोर्ट
- » CAPFs में IPS नियुक्तियों पर चिंता

संक्षिप्त समाचार

- » भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः खुला
- » सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध निष्कासन प्रस्ताव शुरू करेगी
- » वर्तमान में भारतीय डाक, भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क
- » असम की वूलाह चाय
- » रासायनिक हथियार निषेध संगठन(OPCW)
- » सक्षम-3000
- » असम में गार्सिनिया की नई प्रजाति
- » ग्रीन क्लाइमेट फंड
- » अपाचे एएच-64ई हेलीकॉप्टर
- » रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)
- » वैश्विक जीवनक्षमता सूचकांक 2025

WHO की “3 बाय 35” पहल

समाचार में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने “3 बाय 35” पहल शुरू की है, जिसमें विश्व भर के देशों से तंबाकू, शराब और मीठे पेयों पर कर बढ़ाने का आह्वान किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य 2035 तक इन तीन उत्पादों की वास्तविक कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है, जो उच्च उत्पाद शुल्क या स्वास्थ्य करों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

परिचय

- विश्व इस समय गैर-संचारी रोगों (NCDs) की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है—जैसे हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह—जो अब वैश्विक मृत्यु दर का 75% से अधिक हिस्सा हैं।
- साथ ही, घटती विकास सहायता और बढ़ता सार्वजनिक ऋण विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव डाल रहे हैं।
- अध्ययन बताते हैं कि यदि एक बार में 50% मूल्य वृद्धि की जाए, तो आगामी 50 वर्षों में 5 करोड़ समयपूर्व मृत्युओं को रोका जा सकता है और आगामी दशक में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सार्वजनिक राजस्व उत्पन्न की जा सकती है।
- 2012 से 2022 के बीच लगभग 140 देशों ने तंबाकू कर बढ़ाए, जिससे औसतन 50% से अधिक की वास्तविक मूल्य वृद्धि हुई—यह दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन संभव है।

स्वास्थ्य कर क्या है?

- स्वास्थ्य कर उन उत्पादों पर लगाया जाने वाला शुल्क है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं—मुख्यतः तंबाकू, शराब और मीठे पेय।
- इसका दोहरा उद्देश्य होता है:
 - इन हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करना।
 - सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न करना।

उद्देश्य और अपेक्षित प्रभाव

- NCD भार में कमी:** अस्वास्थ्यकर उत्पादों की खपत घटाकर लाखों समयपूर्व मृत्युओं को रोका जा सकता है।
 - उदाहरण: कोलंबिया में सिगरेट कर बढ़ने से खपत में 34% की गिरावट आई।
- राजस्व एकत्रण:** आगामी दशक में वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करना।
- स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाना:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, रोकथाम और स्वास्थ्य अवसंरचना को वित्तपोषित करना।
- SDG 3:** सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को बढ़ावा देना; 2030 तक NCD मृत्यु दर में एक-तिहाई की कमी का लक्ष्य।

चुनौतियाँ और विचार

- उद्योग का विरोध:** तंबाकू और पेय उद्योगों की मजबूत लॉबींग; नीति में देरी और कमजोर क्रियान्वयन।
- प्रतिगामी कर की चिंता:** निम्न-आय वर्गों पर असमान प्रभाव का जोखिम, जब तक कि इसे सब्सिडी के साथ संतुलित न किया जाए।
- राजस्व में अस्थिरता:** खपत में गिरावट से दीर्घकालिक राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है।
- कर छूट:** दीर्घकालिक उद्योग समझौते कर वृद्धि को सीमित कर सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं।

आगे की राह

- “3 बाय 35” पहल एक दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत देती है—जिसमें स्वास्थ्य करों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत विकास रणनीतियों के केंद्र में रखा गया है। देशों के लिए आगे की राह है:
 - मजबूत और व्यापक स्वास्थ्य करों को डिजाइन करना।
 - उद्योग-प्रेरित कर छूट से बचना।
 - राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए करना, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए।

- ▲ दीर्घकालिक प्रभाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना।

Source: BS

IOC द्वारा भारत से संरचनात्मक चिंताओं को दूर करने का आग्रह

संदर्भ

- भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने भारत में शासन संबंधी समस्याओं और डोपिंग उल्लंघनों में वृद्धि को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की हैं।
- ▲ ब्रिस्बेन को पहले ही 2032 ओलंपिक की मेजबानी मिल चुकी है, इसलिए 2036 संस्करण अभी खुला है।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

- IOA में शासन संकट
 - ▲ IOA अध्यक्ष पी.टी. उषा और IOA कार्यकारी परिषद के बीच टकराव।
 - ▲ मुद्दे: प्रायोजन सौदे, वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप, CEO (रघुराम अय्यर) की नियुक्ति।
 - ▲ यह विवाद लगभग दो वर्षों से चल रहा है और बहु-विषयक खेलों की तैयारी को प्रभावित कर रहा है।
- डोपिंग घोटाला
 - ▲ WADA की 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिबंधित पदार्थों के लिए विश्व में सबसे अधिक सकारात्मक मामले पाए गए।
 - ▲ एक अन्य अध्ययन में भारत को नाबालिगों में डोपिंग मामलों में रूस के पश्चात् दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।
 - ▲ एथलेटिक्स इंटिग्रिटी यूनिट(AIU) ने मई 2025 तक भारत को ट्रैक और फील्ड में डोपिंग अपराधों में दूसरा स्थान दिया (केन्या के बाद)।
- खेल प्रदर्शन

- ▲ पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक (1 रजत, 5 कांस्य) जीते और 71वें स्थान पर रहा।
- ▲ भारत से कम जनसंख्या वाले देश जैसे जॉर्जिया, कजाखस्तान और उत्तर कोरिया भारत से ऊपर रहे।
- ▲ अमेरिका (भारत की जनसंख्या का एक-चौथाई) ने 126 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, चीन 91 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

भारत में डोपिंग रोधी एजेंसियाँ

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):
 - ▲ 2005 में स्थापित, खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी करती है।
 - ▲ युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
- IOA मेडिकल आयोग:
 - ▲ एथलीटों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं पर परामर्श देने वाली संस्था।
 - ▲ ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीमों के लिए चिकित्सा सेवाओं की योजना बनाती है।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022:
 - ▲ भारत का पहला स्वतंत्र डोपिंग रोधी कानून।
 - ▲ WADA कोड के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
 - ▲ तलाशी, जब्ती और अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति प्रदान करता है।
 - ▲ अपील तंत्र और शिक्षा/अनुसंधान प्रावधान शामिल हैं।
- भारत UNESCO के “डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” का हस्ताक्षरकर्ता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- खेलो इंडिया:
 - ▲ बुनियादी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए।
 - ▲ प्रतिभा पहचान, कोचिंग, अवसंरचना विकास और स्कूल/विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताएँ शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय खेल नीति:**
 - ▲ प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, भागीदारी को प्रोत्साहित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाना।
 - **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI):**
 - ▲ युवा प्रतिभाओं को पोषित करने और प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था।
 - **राष्ट्रीय खेल पुरस्कार:**
 - ▲ खेलों में उत्कृष्टता को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं।
 - **पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष:**
 - ▲ पूर्व खिलाड़ियों की सहायता के लिए 1982 में स्थापित।
 - **राष्ट्रीय खेल विकास कोष:**
 - ▲ अंतरराष्ट्रीय कोचिंग, अवसंरचना और खेलों के प्रचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
 - **TOPS (टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना):**
 - ▲ ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता वाले खिलाड़ियों की पहचान और सहायता।
 - ▲ प्रशिक्षण, कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता।
 - **मिशन ओलंपिक सेल (MOC):**
 - ▲ TOPS के तहत खिलाड़ियों की तैयारी की निगरानी और समर्थन के लिए।
 - **राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSFs):**
 - ▲ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित; अपने-अपने खेलों के विकास के लिए जिम्मेदार।
 - **प्रतिभा पहचान:**
 - ▲ स्कूलों में खेल कार्यक्रम लागू कर कम उम्र से प्रतिभा को पहचानना और पोषित करना।
 - **अन्य खेलों को बढ़ावा:**
 - ▲ क्रिकेट के अलावा एथलेटिक्स, तैराकी और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना।
 - **लीग और प्रतियोगिताएँ:**
 - ▲ कम प्रसिद्ध खेलों में पेशेवर लीग और प्रतियोगिताएँ शुरू करना।
 - **कॉर्पोरेट प्रायोजन:**
 - ▲ निजी कंपनियों और खेल संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
 - **प्रेरणास्रोत:**
 - ▲ सफल खिलाड़ियों को उजागर कर युवाओं को प्रेरित करना।
- निष्कर्ष**
- भारत का 2036 ओलंपिक की मेज़बानी का सपना गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता आंतरिक सुधारों पर निर्भर है।
 - इस दावेदारी की सफलता पारदर्शी शासन, स्वच्छ खेल संस्कृति, और बेहतर एथलेटिक प्रदर्शन पर आधारित होगी।

Source: IE

रासायनिक उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना: रिपोर्ट

संदर्भ

- नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट “रासायन उद्योग: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना” जारी की है।

परिचय

- यह रिपोर्ट भारत के रासायनिक क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें अवसरों और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला गया है, तथा वैश्विक रासायनिक बाजारों में

आगे की राह

- **वित्त पोषण:**
 - ▲ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में खेल सुविधाओं में निवेश बढ़ाना।
- **शिक्षा:**
 - ▲ खेल शिक्षा में डोपिंग रोधी पाठ्यक्रम शामिल करना।

भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

- रासायनिक उद्योग एक विशाल और विविध क्षेत्र है जिसमें रासायनिक पदार्थों का उत्पादन, परिवर्तन एवं वितरण शामिल है।

भारत का रासायनिक उद्योग

- भारत विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा है तथा इसमें विस्तार की अपार संभावनाएँ हैं।
- वैश्विक श्रृंखला में हिस्सेदारी: वैश्विक रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की हिस्सेदारी 3.5% है।
- बाजार का आकार: 2023 में 220 बिलियन डॉलर से अधिक के बाजार आकार के साथ, इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान दिया तथा कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, ऑटोमोटिव और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान किया।
- भविष्य का अनुमान: उद्योग का 2030 तक 400-450 बिलियन डॉलर तक विस्तार होने की संभावना है तथा 2040 तक संभावित रूप से 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

बाजार उपभोग के अनुसार प्रमुख खंड

- **पेट्रोकेमिकल्स:** ये रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से शोधन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होते हैं और इन्हें पेट्रोलियम डिस्टिलेट के रूप में भी जाना जाता है।
 - ▲ पेट्रोकेमिकल्स सबसे बड़ा रसायन खंड है, जिसकी खपत \$65 से \$75 बिलियन है। इनमें उत्पादन-खपत का अंतर विगत कई वर्षों से नकारात्मक बना हुआ है।
- **विशेष रसायन:** उच्च मूल्य लेकिन कम उत्पादन मात्रा वाले रसायनों को विशेष रसायन माना जाता है, जैसे पेंट और कोटिंग, डाई, एग्रीकेमिकल्स, टेक्सटाइल केमिकल्स आदि।

- ▲ यह श्रेणी बाजार की खपत का लगभग \$40 से \$45 बिलियन और भारत के रासायनिक निर्यात का 50% से अधिक हिस्सा बनाती है।

- **अकार्बनिक रसायन:** भारत के औद्योगिक आधार के लिए मौलिक, ये रसायन निर्माण, जल उपचार और इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं।

- ▲ इनमें धातु, लवण और खनिज जैसे विभिन्न पदार्थ शामिल हैं। वे कुल बाजार खपत का \$15 से 20 बिलियन बनाते हैं।

- **अन्य गैर-प्रमुख खंड:** अन्य “गैर-प्रमुख” रसायन श्रेणियों में उर्वरक, दवा उत्पाद और चिकित्सा उपकरण और व्यक्तिगत देखभाल उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं।

- ▲ साथ में, वे बाजार की खपत में लगभग 90 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं।

प्रमुख बाधाएं

- **उच्च आयात निर्भरता:** 2023 में, भारत ने \$44 बिलियन के निर्यात की तुलना में \$75 बिलियन मूल्य के रसायनों का आयात किया, जिससे लगभग \$31 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ; मुख्य आयात चीन (30-35%) से हुआ।
- **आरएंडडी में कम निवेश:** आरएंडडी में भारत का कम निवेश, वैश्विक औसत 2.3% के मुकाबले केवल 0.7% निवेश के साथ, उच्च मूल्य वाले रसायनों में स्वदेशी नवाचार को बाधित करता है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** बुनियादी ढांचे की कमी, पुराने औद्योगिक क्लस्टर और उच्च रसद लागत ने वैश्विक साथियों की तुलना में लागत में कमी उत्पन्न की है।
- **नियामक जटिलता:** पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी, कई स्वीकृतियाँ इस क्षेत्र के विकास में बाधा डालती हैं।
- **कुशल प्रतिभा की कमी:** इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की 30% कमी है, विशेषकर हरित रसायन, नैनो प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में।
- **कम विविधीकरण:** उच्च मूल्य वाले उत्पादों की तुलना में थोक रसायनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

रणनीतिक दृष्टि: 2030 तक भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला हिस्सेदारी को दोगुना करना



- **विकास के कारक:**
 - ▲ तीव्रता से बढ़ता शहरीकरण और उपभोक्ता मांग।
 - ▲ कोविड और भू-राजनीतिक तनाव के बाद आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव।
 - ▲ विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में सेवा करने की भारत की क्षमता।
- चयनित प्रतिभागियों को सीमित वर्षों तक वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

सात रणनीतिक हस्तक्षेप

- **हस्तक्षेप 1:** विश्व-स्तरीय रसायन हब की स्थापना
 - ▲ केंद्रीय स्तर पर एक सशक्त समिति की स्थापना
 - ▲ समिति के अंतर्गत एक “रसायन कोष” का निर्माण, जिसमें साझा अवसंरचना विकास, व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) आदि के लिए बजटीय प्रावधान
 - ▲ मौजूदा हबों का पुनरुद्धार: दहेज, पारादीप, विशाखापत्तनम, कुड्डालोर-नागपट्टिनम
- **हस्तक्षेप 2:** बंदरगाह अवसंरचना को सशक्त बनाना
 - ▲ प्रमुख बंदरगाहों पर रसायन समिति की स्थापना
 - ▲ 8 उच्च-क्षमता वाले तटीय क्लस्टरों का विकास
- **हस्तक्षेप 3:** रसायनों के लिए Opex सब्सिडी योजना
 - ▲ आयात बिल, निर्यात क्षमता, एकल स्रोत देश पर निर्भरता, अंतिम बाजार की महत्ता आदि के आधार पर रसायनों के वृद्धिशील उत्पादन को प्रोत्साहन
- **हस्तक्षेप 4:** आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु तकनीकों का विकास और उपयोग
 - ▲ नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (R&D) कोष का वितरण
 - ▲ उद्योग एवं अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु DCPC और DST के साथ एक इंटरफेस एजेंसी की स्थापना
- **हस्तक्षेप 5:** पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाना
 - ▲ वैश्विक तकनीक तक पहुंच के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के साथ साझेदारी को प्रोत्साहन
- **हस्तक्षेप 6:** पर्यावरण मूल्यांकन समिति (EAC) को स्वायत्तता के साथ शीघ्र अनुमोदन प्रणाली
 - ▲ यदि 270 दिन से अधिक की देरी हो तो “माना गया पर्यावरणीय मंजूरी (Deemed EC)”
 - ▲ EAC और EIAA का एकीकरण, जिससे प्रक्रिया में तीव्रता आए
- **हस्तक्षेप 7:** मुक्त व्यापार समझौते (FTA) सुनिश्चित करना
 - ▲ टैरिफ कोटा और आवश्यक कच्चे माल पर छूट हेतु लक्षित वार्ताएं

- ▲ उद्योग की पहुंच बढ़ाने के लिए FTA अनुपालन को सरल बनाना
- **हस्तक्षेप 7:** रसायन उद्योग में प्रतिभा और कौशल उन्नयन
 - ▲ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और विशेष प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार
 - ▲ पॉलिमर विज्ञान, पेट्रोकेमिकल्स, सुरक्षा आदि में उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रमों का निर्माण
 - ▲ संकाय प्रशिक्षण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम

- ▲ प्रमुख रसायन क्षेत्रों में रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है
- ▲ हरित और नवाचार-आधारित रसायन उत्पादन में अग्रणी बन सकता है
- इस लक्ष्य की प्राप्ति न केवल भारत की वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) में हिस्सेदारी को बढ़ाएगी, बल्कि \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

Source: PIB

CAPFs में IPS नियुक्तियों पर चिंता

संदर्भ

- CAPF में IPS की प्रतिनियुक्ति कम करने के सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देश के बावजूद, गृह मंत्रालय ऐसी नियुक्तियां जारी रखे हुए है, जिससे ग्रुप ए CAPF अधिकारियों की स्वायत्तता को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं।

पृष्ठभूमि

- संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2025 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
 - ▲ सीएपीएफ के ग्रुप ए अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए “संगठित सेवाओं” के रूप में माना जाना चाहिए।
 - ▲ सीएपीएफ में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) पदों यानी महानिरीक्षक (आईजी) के पद तक आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को दो वर्ष की बाहरी सीमा के अंदर उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए।
- **निर्णय का उद्देश्य:** इस निर्णय का उद्देश्य सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के लिए उचित कैरियर प्रगति सुनिश्चित करना और सीएपीएफ के भीतर प्रतिनियुक्त आईपीएस अधिकारियों के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को रोकना है।

गृह मंत्रालय की भूमिका

- गृह मंत्रालय (MHA) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) दोनों के लिए

वैश्विक सीख: चीन का केस स्टडी

- चीन ने 2000 में 6% से बढ़ाकर 2023 में 33–35% वैश्विक रसायन हिस्सेदारी प्राप्त की
- राज्य-नेतृत्व वाली अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास (R&D), और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में भारी निवेश
- बड़े पैमाने पर उत्पादन, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य और नीति निरंतरता के माध्यम से शुद्ध निर्यातक की स्थिति प्राप्त की
- यह परिवर्तन दो दशकों में हुआ, जिसकी शुरुआत राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) द्वारा अति-निवेश और छोटे-मध्यम उत्पादन इकाइयों की स्थापना से हुई
- भारत इन अनुभवों से सीख लेकर अपनी संघीय संरचना और घरेलू क्षमताओं के अनुसार समाधान अपना सकता है

आगे की राह: \$1 ट्रिलियन उद्योग की ओर

- भारत का रसायन उद्योग एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। घरेलू बाजार की ताकत, अनुकूल नीतिगत गति और वैश्विक आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचना के संयोजन से एक अभूतपूर्व अवसर उत्पन्न हुआ है।
- यदि सरकार सात-स्तरीय रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करती है, तो भारत:
 - ▲ वैश्विक विनिर्माण केंद्र में रूपांतरित हो सकता है

प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। MHA ने IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को निम्नलिखित आधारों पर पारंपरिक रूप से उचित ठहराया है:

- ▲ राज्य कैडरों से केंद्रीय बलों को सुदृढ़ करने के लिए पुलिसिंग अनुभव लाना।
- ▲ सभी बलों में नेतृत्व का एक समान मानक बनाए रखना।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद, मई 2025 के निर्णय के बाद कम से कम आठ IPS अधिकारियों को CAPFs में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया गया है। इनमें कमांडेंट और इंस्पेक्टर जनरल जैसे पदों पर नियुक्तियाँ शामिल हैं।

CAPFs में IPS नियुक्तियों को लेकर चिंताएँ

- **कैरियर प्रगति में ठहराव:** वरिष्ठ पदों (जैसे IG पदों का 50%) के लिए IPS अधिकारियों के लिए उच्च आरक्षण के कारण CAPF कैडर अधिकारियों को पदोन्नति के सीमित अवसर मिलते हैं।
 - ▲ औसतन, एक CAPF अधिकारी को कमांडेंट के पद तक पहुँचने में 25 वर्ष लगते हैं, जबकि यह पद उन्हें आदर्श रूप से 13 वर्षों में मिल जाना चाहिए।
- **संगठनात्मक अखंडता का उल्लंघन:** IPS अधिकारियों की निरंतर प्रतिनियुक्ति CAPFs की संस्थागत स्वायत्तता और उन्हें एक विशिष्ट बल के रूप में पेशेवर बनाने की दीर्घकालिक प्रक्रिया को बाधित करती है।
- **कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा CAPF ग्रुप A सेवाओं को संगठित सेवाओं के रूप में मान्यता देने का अर्थ है कि सरकार को कैडर समीक्षा करनी होगी, भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा, और गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान करना होगा।
 - ▲ संरचनात्मक बदलावों के बिना IPS नियुक्तियों को जारी रखना प्रशासनिक रूप से असंगत और कानूनी रूप से संदिग्ध है।

- **प्राकृतिक न्याय और समानता का उल्लंघन:** अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) लागू होते हैं, क्योंकि CAPF कैडर अधिकारियों को उनके IPS समकक्षों की तुलना में समान पदोन्नति अवसर नहीं मिलते।

नीतिगत सिफारिशें

- **सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन:** MHA को अगले दो वर्षों में SAG और उच्च पदों पर IPS प्रतिनियुक्तियों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की संक्रमण योजना बनानी चाहिए जैसा कि निर्देशित किया गया है।
- **सभी CAPFs में कैडर समीक्षा और भर्ती नियमों में संशोधन:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि पदोन्नति योग्यता और CAPFs के अंदर अनुभव पर आधारित हो।
- **गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU) प्रदान करें:** CAPF अधिकारियों के वेतन और कैरियर प्रगति में समानता सुनिश्चित करें ताकि मनोबल बना रहे।
- **संसदीय निगरानी:** प्रतिनियुक्ति प्रथाओं और CAPFs में कैरियर ठहराव की समीक्षा के लिए एक संसदीय स्थायी समिति की स्थापना करें।
- **पारदर्शी प्रतिनियुक्ति नीति:** अंतर-कैडर प्रतिनियुक्तियों पर एक समान और पारदर्शी नीति विकसित करें, जिसमें पात्रता, कार्यकाल और वस्तुनिष्ठ मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित हों।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)** भारत के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम है। ये बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमाओं की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। CAPF को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
 - ▲ **असम राइफल्स (AR):** यह एक केंद्रीय पुलिस और अर्धसैनिक संगठन है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद-रोधी अभियान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

- ▲ **सीमा सुरक्षा बल (BSF):** यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात रहता है। 2009 से इसे वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है।
- ▲ **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP):** यह भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात की जाती है।
- ▲ **सशस्त्र सीमा बल (SSB):** यह भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करता है।
- ▲ **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG):** यह गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद-रोधी इकाई है। इसके सभी कार्मिक अन्य CAPFs और भारतीय सेना से प्रतिनियुक्त किए जाते हैं।
- ▲ **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF):** यह आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात रहता है और इसका व्यापक रूप से पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर में संचालन होता है।
- ▲ **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF):** यह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs), अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रतिष्ठानों, देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही चुनावों, अन्य आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी और अति विशिष्ट व्यक्तियों (VVIPs) की सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः खुला

संदर्भ

- भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में टाटा ट्रस्ट्स की सहायता से फिर से खोला गया है।

परिचय

- 2021 में शुरू किया गया मित्र क्लिनिक भारत का प्रथम ऐसा क्लिनिक है जिसे पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित और प्रबंधित किया गया था।
- प्रदान की जाने वाली सेवाएँ
 - ▲ सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ
 - ▲ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, स्तन वृद्धि, लिंग पहचान प्रक्रियाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श और क्लिनिकल सलाह
 - ▲ एचआईवी/यौन संचारित संक्रमण (STI) का उपचार
 - ▲ मनोवैज्ञानिक सहायता
- भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर-नेतृत्व वाले क्लिनिक के रूप में, यह क्लिनिक गरिमापूर्ण, सुलभ और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।

Source: TH

सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध निष्कासन प्रस्ताव शुरू करेगी

संदर्भ

- केंद्र सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निष्कासन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

- भारत के संविधान में अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को “सिद्ध दुराचार या अक्षमता” के आधार पर हटाने का प्रावधान है।
- प्रस्ताव की शुरुआत:
 - ▲ किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - ▲ प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए:

- लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
- राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
- **प्रस्ताव की स्वीकृति:**
 - ▲ आवश्यक संख्या में सांसदों द्वारा समर्थन मिलने के बाद, प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- **जांच समिति का गठन:**
 - ▲ प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं:
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश या एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
 - एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और
 - एक प्रख्यात विधिवेत्ता।
- **जांच और रिपोर्ट:**
 - ▲ समिति आरोपों की जांच करती है और तीन महीने के अंदर (आवश्यकता पड़ने पर विस्तार संभव) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
 - ▲ यदि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो मामला यहीं समाप्त हो जाता है।
- **संसद में मतदान:**
 - ▲ यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो प्रस्ताव दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है:
 - कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और
 - उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से।
- **राष्ट्रपति का आदेश:**
 - ▲ जब दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो इसे भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जो फिर न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं।

IMPEACHMENT PROCEEDINGS

- ▶ A **removal motion** signed by 100 members (in case of Lok Sabha) or 50 members (in case of Rajya Sabha) is to be given to the Speaker/Chairman.
- ▶ If the motion is admitted, then a **three-member committee to investigate** into the charges is constituted.
- ▶ If the committee finds the judge to be guilty of the charges (**misbehaviour or incapacity**), the House in which the motion was introduced, can take up the consideration of the motion.
- ▶ **Special majority:** Majority of total membership of the House & majority of not less than two thirds members present and voting.
- ▶ Once, the House in which removal motion was introduced passes it with **special majority**, it goes to the second House which also has to pass it with a special majority.
- ▶ After the motion is passed, an **address** is presented to the President for removal of the judge. The President then passes an order removing the judge.

Source: TH

वर्तमान में भारतीय डाक, भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क

समाचार में

- केंद्रीय संचार मंत्री ने घोषणा की है कि इंडिया पोस्ट एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसकी शुरुआत इसके पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) की नियुक्ति से हुई है।

डाक विभाग (इंडिया पोस्ट)

- यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका प्रबंधन डाक सेवा बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों की देखरेख करते हैं:
 - ▲ कार्मिक
 - ▲ संचालन
 - ▲ प्रौद्योगिकी
 - ▲ डाक जीवन बीमा
 - ▲ बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
 - ▲ योजना

- एक अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों और विभिन्न निदेशकों का सहयोग प्राप्त होता है। 1,55,000 से अधिक डाकघरों के साथ, यह दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संचालित करता है।

महत्व

- यह भारत की संचार प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
- यह डाक वितरण, लघु बचत योजनाएं, जीवन बीमा (PLI और RPLI), और बिल संग्रह जैसी खुदरा सेवाएं प्रदान करता है।
- यह सरकार की योजनाओं का समर्थन भी करता है, जैसे कि मनरेगा की मजदूरी और वृद्धावस्था पेंशन का वितरण।

Source: TH

असम की वूलाह चाय

प्रसंग

- असम की वूलाह टी ने भारत के पहले बैग-रहित चाय नवाचार के लिए 20 वर्षों का पेटेंट प्राप्त किया है।

परिचय

- वूलाह टी को इसके आविष्कार 'संपीडित सच्ची पूरी पत्ती वाली चाय डिप्स और उसकी विधि' (पेटेंट नाम) के लिए पेटेंट संख्या 567895 प्रदान की गई है।
- यह 'एति कोली दुति पात' (एक कली और दो पत्तियां) के संकुचित गुच्छे का उपयोग करता है, जिसे प्राकृतिक धागे से बांधा जाता है, जिससे पारंपरिक टी बैग्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यह अभिनव बैग-रहित अवधारणा भारत के चाय निर्यात में मूल्य और स्थिरता जोड़ती है और सामान्य टी बैग्स से निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक से भी बचाती है।
- वूलाह टी अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को निर्यात करने की योजना बना रही है,

जिससे भारत के चाय बाजार का वैश्विक विस्तार होगा।

Source: TH

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

समाचार में

- रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) ने भारत की राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन (NACWC) के सहयोग से एशिया में राज्यों पक्षों के राष्ट्रीय प्राधिकरणों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक आयोजित की।

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW)

- यह रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) को लागू करता है, जो 1997 से प्रभावी है।
- इसके 193 सदस्य देश हैं और इसे रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के प्रयासों के लिए 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- भारत CWC सम्मेलन का मूल हस्ताक्षरकर्ता है।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन (NACWC) भारत में इस सम्मेलन को लागू करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
- 2024 में, NACWC ने OPCW मेंटरशिप/पार्टनरशिप कार्यक्रम के तहत केन्या के राष्ट्रीय प्राधिकरण को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे उसकी कार्यान्वयन क्षमता मजबूत हुई।

भारतीय रासायनिक परिषद (ICC)

- यह भारत का सबसे पुराना रासायनिक उद्योग संघ है और NACWC के साथ मिलकर उद्योग तक पहुंच बनाने में कार्य करता है।
 - ▲ ICC को 2024 का OPCW-द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया।
 - ▲ यह प्रथम बार है जब वैश्विक स्तर पर किसी रासायनिक उद्योग संगठन को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

Source: AIR

सक्षम-3000

समाचार में

- संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने उच्च क्षमता वाले सक्षम-3000 का शुभारंभ किया।

सक्षम-3000 के बारे में

- यह अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच-कम-राउटर है।
- इसका विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) द्वारा किया गया है।
- यह एक उच्च क्षमता वाला, कॉम्पैक्ट 25.6 टेराबिट प्रति सेकंड (Tbps) स्विच-राउटर है, जो आधुनिक डेटा सेंटरों के लिए डिज़ाइन किया गया है और 400G के 32 पोर्ट्स तथा 1G से 400G तक की ईथरनेट स्पीड को सपोर्ट करता है।

विशेषताएँ

- यह बड़े कंप्यूटिंग क्लस्टर, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, 5G/6G नेटवर्क और एआई वर्कलोड्स के लिए आदर्श है।
- इसमें अल्ट्रा-लो लेटेंसी, वायर-स्पीड प्रोसेसिंग और मॉड्यूलर CROS (C-DOT राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम) ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा है।
- यह Layer-2, IP और MPLS प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, ऊर्जा-कुशल है, और PTP तथा Sync-E के साथ समय-संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

Source : PIB

असम में गार्सिनिया की नई प्रजाति

संदर्भ

- असम के बक्सा ज़िले में गार्सिनिया वंश (Genus Garcinia) की एक नई पौध प्रजाति की खोज हुई है, जिसका नाम गार्सिनिया कुसुमा रखा गया है।

गार्सिनिया कुसुमा के बारे में

- इस प्रजाति का नाम पर्यावरणविद् जतिंद्र शर्मा की दिवंगत माता कुसुम देवी के सम्मान में रखा गया है,

जिन्होंने इस खोज का नेतृत्व किया।

- यह प्रजाति स्थानीय रूप से थोड़कोरा के नाम से जानी जाती है और यह एक द्विलिंगी (dioecious) सदाबहार वृक्ष है, जो 18 मीटर तक ऊँचा हो सकता है।

गार्सिनिया वंश के बारे में

- गार्सिनिया, क्लूसिएसी (Clusiaceae) कुल के अंतर्गत आने वाला एक बड़ा, पैन-ट्रॉपिकल वंश है, जिसमें 414 ज्ञात प्रजातियाँ शामिल हैं, जो झाड़ियों और वृक्षों के रूप में पाई जाती हैं।
- यह वंश मुख्य रूप से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला हुआ है और सामान्यतः निम्नभूमि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है।
- गार्सिनिया की प्रजातियाँ अपनी औषधीय विशेषताओं, पाक उपयोगिता, और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती हैं, विशेषकर आदिवासी समुदायों में।

भारत में गार्सिनिया

- भारत में गार्सिनिया की 33 प्रजातियाँ और 7 किस्में पाई जाती हैं।
- केवल असम राज्य में ही 12 प्रजातियाँ और 3 किस्में मौजूद हैं।
- ये प्रजातियाँ मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के वर्षावनों, पश्चिमी घाट, और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में पाई जाती हैं, जो इन्हें भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं।



Source: TH

ग्रीन क्लाइमेट फंड

संदर्भ

- ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF), जो विश्व का सबसे बड़ा जलवायु कोष है, ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा संचालित एक नए कार्यक्रम के लिए **200 मिलियन डॉलर** की मंजूरी दी है।
- यह राशि ADB की **इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी (IGFF)** का समर्थन करेगी, जो एक मिश्रित वित्त पोषण (blended finance) कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य भारत की प्रमुख विकास वित्त संस्थाओं (DFIs) और निजी क्षेत्र से उभरती स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में निवेश को आकर्षित करना है।

ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)

- GCF विश्व का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है।
- इसकी स्थापना **2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के अंतर्गत की गई थी।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों को निम्नलिखित में सहायता प्रदान करना है:
 - ▲ **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना या कम करना (शमन)।**
 - ▲ **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनना (अनुकूलन)।**
- GCF को अपने संसाधनों का **50% शमन और 50% अनुकूलन** पर अनुदान समकक्ष (grant equivalent) के रूप में निवेश करने का अधिकार प्राप्त है।
- मुख्यालय: **सोंगदो, इंचियोन, दक्षिण कोरिया।**
- GCF का एक मुख्य सिद्धांत है **देश-प्रेरित दृष्टिकोण (country-driven approach)**, जिसका अर्थ है कि विकासशील देश स्वयं GCF कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन का नेतृत्व करते हैं।

Source: BL

अपाचे एएच-64ई हेलीकॉप्टर

संदर्भ

- भारत को अमेरिका से अपने प्रथम अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं, जो इसकी सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाते हैं।

परिचय

- **अपाचे AH-64E** दुनिया के सबसे उन्नत बहु-भूमिका (multi-role) वाले अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है।
- इसे **बोइंग** द्वारा विकसित किया गया है और यह मारक क्षमता, फुर्ती और आधुनिक एवियोनिक्स का संयोजन प्रस्तुत करता है।
- यह **हेलफायर मिसाइलों, 70 मिमी रॉकेट्स, और 30 मिमी चेन गन** से लैस है। यह ज़मीनी लक्ष्यों, बख्तरबंद वाहनों और यहां तक कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी निशाना बना सकता है।
- इसमें उन्नत सेंसर, टार्गेटिंग रडार और नाइट विज़न सिस्टम लगे हैं, जो इसे सभी मौसमों में, विशेष रूप से उच्च ऊंचाई और कम दृश्यता वाले युद्ध क्षेत्रों में प्रभावी बनाते हैं।
- भारत के अलावा, इसके उपयोगकर्ता देशों में **मिस्र, इजराइल, जापान, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम** और अन्य देश शामिल हैं।

Source: LM

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

समाचार में

- रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹1.05 लाख करोड़ की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में

- **स्थापना:** 2001 में, कारगिल युद्ध (1999) के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर।

- उद्देश्य: सशस्त्र बलों के लिए खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना, ताकि उपकरणों एवं प्रणालियों की समय पर और कुशल खरीद सुनिश्चित की जा सके।
- मुख्य कार्य:
 - ▲ थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान करना।
 - ▲ सशस्त्र बलों के लिए 15-वर्षीय दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (LTIPP) को सैद्धांतिक मंजूरी देना।
 - ▲ 'बाय एंड मेक (Buy & Make)' श्रेणी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर निर्णय लेना।

Source: TH

वैश्विक जीवनक्षमता सूचकांक 2025

संदर्भ

- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है, जो विश्व भर के प्रमुख शहरों में जीवन की गुणवत्ता का आकलन करता है।

सूचकांक के बारे में

- पद्धति: यह सूचकांक 173 शहरों का मूल्यांकन करता है, जिसमें 30 संकेतकों को पाँच व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
 - ▲ स्थिरता (Stability)

- ▲ स्वास्थ्य सेवा (Healthcare)
- ▲ संस्कृति और पर्यावरण (Culture and Environment)
- ▲ शिक्षा (Education)
- ▲ बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
- प्रत्येक शहर को 1 से 100 के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं, जहाँ 100 आदर्श जीवनयोग्यता को दर्शाता है और 1 असहनीय स्थिति को।

सबसे अधिक जीवनयोग्य शहर

- कोपेनहेगन (डेनमार्क) ने 98/100 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड) और वियना (ऑस्ट्रिया) संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं (97.1/100)।
- कोपेनहेगन ने स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में पूर्ण अंक प्राप्त कर वियना के तीन वर्षों के प्रभुत्व को समाप्त किया।

सबसे कम जीवनयोग्य शहर

- दमिश्क (सीरिया) 30.7/100 स्कोर के साथ सबसे कम जीवनयोग्य शहर बना हुआ है।
- इसके बाद त्रिपोली (लीबिया) 40.1/100 और ढाका (बांग्लादेश) 41.7/100 पर हैं।

भारत का प्रदर्शन

- दिल्ली और मुंबई दोनों ने 60.2 स्कोर प्राप्त किया और 141वें स्थान पर संयुक्त रूप से रहीं।

Source: IE